

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-23/2026 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

साजन राम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी शेखचुलिया तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
-वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील-वादी
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 23/2/2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा शेखचुलिया के खाता संख्या 34/247 के खसरा नम्बर 719/187 की 6.3230 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम साजन पुत्र मुखराम के स्थान पर साजन राम पुत्र मुखराम दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23/2/2026 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

